

Govt. of Bihar
Department of Registration, Excise and Prohibition

NOTICE

Government of Bihar has promulgated New Excise Policy 2015. As per this new policy the trade, sale, distribution, production, store and consumption of Country Liquor (CL) will not be allowed. From 1st April 2016, only Foreign Liquor would be allowed limited to notified urban areas.

In this perspective, it is hereby informed that vehicles (Containers/Tankers) which would be doing the transportation of foreign liquor/ethanol and related items from/to distilleries, sugar mills, bottling, breweries, depots, retail shops inbound/outbound shall have to use the stickers issued by the Government of Bihar. The stickers need to be pasted on the front windshield of each vehicle.

2. In all situations, without the permission of the District Magistrate, the vehicle without the Excise Department issued stickers would not be allowed to enter or leave the production centers of liquor/ethanol and related items.
3. The above mentioned stickers would be issued on submission of the Bank Guarantee by concerned firm/individual Transporter.
4. Anyone found violating and not complying with the above order shall be liable for legal action as per law.




(Kunwar Jang Bahadur)
Commissioner of Excise
Bihar, Patna

Patna , Dated – 16th March 2016

Addressed to:

Copy to: MD, BSCL / All Excise Superintendent / Transporters and all concern/units related with transportation / Bihar State run Distilleries, Sugar Mills, Bottling Plants and Breweries for information and necessary action.



Commissioner of Excise
Bihar, Patna

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

आदेश


नयी उत्पाद नीति, 2015 के अंतर्गत 01 अप्रैल 2016 से देसी शराब से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार, बिक्री, वितरण, निर्माण, संचयन पूरी तरह से वर्जित/निषेध होगा। मात्र शहरी क्षेत्रों में ही विदेशी शराब उपलब्ध कराई जायेगी। शहरी क्षेत्रों में भी मात्र नगर निगम तथा नगर परिषद के स्तर पर ही व्यापार की अनुमति दी गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी ट्रॉसपोर्टों को सूचित किया जाता है कि जैसे वाहन (टैंकर और कंटेनर), जिन्हें विदेशी शराब अथवा ईथनॉल के व्यवसाय से जुड़े किसी भी सामग्री का, आसवन गृह, चीनी मिल, बोटलिंग प्लांट, ब्रिवरीज, डिपो, दुकान (Retail Shop) से परिचालन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उन्हें बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया स्टीकर, वाहन के सामने वाले शीशे (Windshield) पर लगाना अनिवार्य होगा।

2. किसी भी परिस्थिति में समाहर्ता के अनुमति के बिना Excise स्टीकर रहित गाड़ी को विदेशी शराब/ईथनॉल निर्माण केन्द्र के परिसर में घुसने व निकलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. उक्त स्टीकर विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के उपरान्त बैंक गारंटी समर्पित करने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।


4. यदि कोई भी व्यक्ति को उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विविध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


(कुंवर जंग बहादुर)
आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—

पटना, दिनांक— 16.03.2016

प्रतिलिपि:—M.D. B.S.B.C.L/ सभी अधीक्षक उत्पाद/वाहन मालिकों एवं इस व्यवसाय से संबंधित सभी संस्थानों/ बिहार राज्य में अवस्थित सभी आसवन गृह, चीनी मिल, बोटलिंग प्लांट एवं ब्रिवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।


आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।